

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग
खाद्य भवन, भू-तल, शासन सचिवालय, जयपुर-302005

पत्रांक: एफ 5(15) आ.प्र. एवं स.आ./पशु शिविर/2018/1525-45 जयपुर, दिनांक 13-2-19

जिला कलेक्टर (आ.प्र. एवं सहायता),
बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली,
चूरु एवं नागौर।

विषय:- खरीफ सम्वत् 2075 में सूखाग्रस्त ग्रामों में पशुशिविर संचालन बाबत दिशा-निर्देश।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.1(4)आ.प्र.एवं सहा./सामान्य/2018/18874-94 दिनांक 19.11.2018 से बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, हनुमानगढ़, पाली, चूरु एवं नागौर जिले के ग्रामों को गम्भीर एवं मध्यम सूखाग्रस्त (Severe and Moderate category drought affected) घोषित किया गया है। उक्त अधिसूचना दिनांक 18.5.2019 तक प्रभावी रहेगी। अभाव सम्वत् 2075 में खरीफ फसल खराबा रिपोर्ट के आधार पर अभावग्रस्त घोषित क्षेत्रों में पशु शिविर संचालन करने हेतु भारत सरकार के पत्रांक 32-7/2014 दिनांक 08.04.2015 को जारी राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) के संशोधित मानदण्डों के अनुसार दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

गम्भीर सूखाग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में चारे की कमी हो जाने के फलस्वरूप जिला कलेक्टर के प्रमाणीकरण/औचित्य (verification/justification) के आधार पर विभाग से अनुमोदित प्रस्तावानुसार लघु एवं सीमान्त कृषकों द्वारा अभाव अवधि के दौरान छोड़े गये पशुओं के संरक्षण हेतु पशु शिविर स्वीकृत किये जाने हेतु जिला कलेक्टर को अधिकृत किया जाता है।

इस सम्बन्ध में निम्न दिशा-निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे:-

1. राजकीय संस्था एवं पंचायतीराज संस्था के माध्यम से 2011 की जनगणना के अनुसार 2000 से अधिक आबादी वाले उन ग्रामों में जिनमें वर्तमान में घोषित पशुशिविर संचालित नहीं किये जा रहे हैं, उन ग्रामों में पशु शिविर आवश्यकता अनुसार जिला कलेक्टर की संतुष्टि के आधार पर संचालित किये जावेंगे।
2. जिला कलेक्टर विभागीय दिशा-निर्देश जारी होने की दिनांक से एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार पशु शिविर संचालन हेतु प्रस्ताव तहसीलदार के माध्यम से प्राप्त करें।
3. जिले के अभावग्रस्त ग्रामों से सम्बन्धित तहसीलों में आवश्यकतानुसार पशुशिविर संचालन हेतु ही स्वीकृति जारी की जावे। इन पशु शिविरों के संचालन हेतु स्थानों का निर्धारण उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा आवश्यकतानुसार किया जावे।
4. जिन ग्राम पंचायतों में पंजीकृत गौशाला संचालित है उन ग्राम पंचायतों में पशु शिविरों की स्वीकृति जारी नहीं की जावे।

5. सम्बन्धित तहसीलदार उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित स्थानों पर पशु शिविरों के प्रस्ताव उक्तानुसार प्राप्त कर एक सप्ताह के भीतर पशु संख्या का प्रमाणीकरण एवं आवेदन-पत्र की जांच कर अपनी अनुशंषा सहित जिला कलेक्टर को प्रेषित करें। आवेदन के साथ सम्बन्धित पशु शिविर संचालक संस्था से एक शपथ-पत्र लिया जावे। (शपथ-पत्र का प्रारूप संलग्न)
6. यदि तहसीलदार पशु शिविर संचालकों के आवेदन की तहसील में प्राप्ति तिथि से एक सप्ताह के भीतर जांच कर प्रस्ताव का निस्तारण/जिला कलेक्टर को प्रेषित नहीं करता है तो जिला कलेक्टर विलम्ब के लिए तहसीलदार की जिम्मेदारी तय कर अनुशासनात्मक कार्यवाही करेंगे तथा की गई कार्यवाही से विभाग को सूचित करेंगे।
7. जिला कलेक्टर तहसीलदारों से प्राप्त प्रस्तावों को प्रस्ताव प्राप्ति दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित पशु शिविर संचालकों को दिशा-निर्देश जारी किए जाने की दिनांक से अभाव अवधि तक के लिए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित पशु संख्या के अनुसार राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करेंगे। विभाग स्तर से प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की जावेगी। समय पर (एक सप्ताह के भीतर) प्रस्ताव का निस्तारण नहीं करने के कारण जिला कलेक्टर या सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
8. जिला कलेक्टर अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु शिविर संचालकों को विभागीय दिशा-निर्देशों के जारी होने की तिथि के पश्चात् निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पशु शिविर संचालन हेतु राहत सहायता की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करना प्रारम्भ करेंगे।
9. पशु शिविर को राहत सहायता किसी भी परिस्थिति में तहसीलदार के प्रथम निरीक्षण से देय नहीं होगी। जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्रशासनिक स्वीकृति की दिनांक से ही एस.डी.आर. एफ नॉर्म्स से राहत सहायता का भुगतान किया जावेगा।
10. अभाव अवधि के दौरान लघु एवं सीमान्त कृषक द्वारा छोड़े गये पशुओं को पशुशिविर में रखे जाने हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं:-
 - (i) पशु शिविर में पशुओं को रखे जाने की समुचित व्यवस्था यथा बाड़ा, छाया, चारा संग्रहण स्थल, पानी इत्यादि आवश्यक रूप से हो।
 - (ii) पशुशिविर में दाखिल किये गये पशुओं का रजिस्टर में इन्द्राज किया जावेगा।
 - (iii) एस.डी.आर.एफ. नॉर्म्स के अनुसार पशु शिविरों में रखे जाने वाले बड़े पशु को 70/- रूपये प्रति बड़े पशु प्रतिदिन तथा 35/-रूपये प्रति छोटे पशु प्रतिदिन की दर से चारा/पशु आहार देने हेतु राहत सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी।
 - (iv) पशु शिविरों में संधारित किये जा रहे पशुओं को पशु शिविर संचालित करने वाली संस्था को 1 किलो पशु आहार बड़े पशु को तथा 1/2 किलो पशु-आहार छोटे पशु को प्रति पशु प्रतिदिन की दर से उपलब्ध कराया जाएगा। यदि निर्धारित मात्रा

में पशुओं को पशु आहार उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो आर.सी.डी.एफ./राजफैड की प्रचलित बाजार दर से पशु आहार की राशि बड़े पशु तथा छोटे पशु के हिसाब से अनुदान बिलों से काटी जाकर शेष राशि ही राहत सहायता स्वरूप स्वीकृत की जावे।

- (v) पशु आहार राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड से कय किये जाने की स्थिति में ही अनुदान राशि देय होगी।
- (vi) पशु शिविरों के माध्यम से संधारित किये जा रहे पशुओं का शिविर स्थल पर जाकर, तहसीलदार, उपखण्ड अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाए तथा निरीक्षण के दौरान पायी गई कमियों का उल्लेख शिविर संचालक द्वारा शिविर स्थल पर रखे गये रजिस्ट्रों में आवश्यक इन्द्राज सुनिश्चित किया जाकर हस्ताक्षर किये जाए।
- (vii) पशु शिविरों में रखे जाने वाले पशुओं के प्रमाणीकरण के संदर्भ में स्थानीय रूप से पटवारी/ग्राम सेवक/नजदीकी स्कूल के अध्यापक को शामिल करते हुए एक कमेटी का गठन कर कमेटी की अनुशंसा के आधार पर ही पशु शिविरों में पशुओं को रखा जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि एक पशु शिविर में न्यूनतम पशु सीमा 100 हो तथा 200 से अधिक होने पर जिला कलेक्टर से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की जावे।
11. ऐसे पशु शिविरों के बारे में जिला कलेक्टर के स्तर पर एक रजिस्टर संधारित किया जाए, जिसमें निम्न सूचना अंकित की जाए:-
- (i) पशु शिविर चलाने वाली संस्था का नाम
 - (ii) पशु शिविर चलाने हेतु आवेदन पत्र का दिनांक
 - (iii) स्थान का नाम जहाँ शिविर चलाया जाएगा।
 - (iv) पशुओं की संख्या जो शिविर में रखने हेतु प्रस्तावित हो
 - (v) शिविर के लिए पशु शाला हेतु उपलब्ध स्थान
 - (vi) शिविर पर पशुओं के लिए उपलब्ध सुविधायें
 - (vii) चारा कितनी मात्रा में प्रति पशु प्रति दिन दिया जाएगा तथा अन्य सुविधायें क्या दी जाएगी।
 - (viii) जिला कलेक्टर द्वारा आवेदन पत्र स्वीकृत करने का दिनांक
 - (ix) दिनांक जिससे पशु शिविर चालू किया गया
 - (x) संस्था की संचालन समिति के सदस्यों के नाम
 - (xi) बैंक खाता नं. एवं आईएफएससी कोड जिसमें संस्था अपना खाता रखती हो
 - (xii) संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव का नाम
 - (xiii) संस्था की सामान्य वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

12. पशु शिविर चलाने वाली संचालक समिति में जिला कलेक्टर द्वारा एक प्रतिनिधि मनोनीत किया जावे एवं यह निर्देशित किया जाए कि स्थानीय संचालन समिति की प्रत्येक बैठक की दिनांक की सूचना उस प्रतिनिधि को प्रदान की जावे ताकि बैठक में जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि उपस्थित हो सके।
13. लघु एवं सीमान्त कृषकों के पशुओं की सूची (पशुओं के प्रकार सहित) ग्राम पंचायत, ब्लॉक, तहसील, उपखण्ड एवं जिला स्तर पर नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी। साथ ही सामाजिक अंकेक्षण एवं प्रमाणीकरण हेतु उक्त सूची जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी।
14. ऐसे समस्त शिविरों का लेखा जोखा सही एवं भली प्रकार से संधारित कराया जाए, जिसमें निम्न रजिस्ट्रों का संधारण कराया जाए :-
 - क. पशु चारा/पशु आहार खरीद एवं स्टॉक रजिस्ट्र
 - ख. पशुओं के पंजीकरण का रजिस्ट्र
 - ग. चारा तथा पशु आहार दैनिक वितरण रजिस्ट्र
 - घ. दैनिक आमद व खर्च का रोकड़ बही
15. ऐसे शिविरों का तथा उनके लेखों का आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग एवं जिला कलेक्टर अथवा उनके प्रतिनिधि या मनोनीत अधिकारी द्वारा किसी भी समय निरीक्षण किया जा सकेगा।
16. जिला कलेक्टर अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा समय-समय पर प्रत्येक पशु शिविर का निरीक्षण किया जाकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इन शिविरों में निर्धारित मापदण्ड से पशुओं का पोषण किया जा रहा है तथा संस्था द्वारा संधारित अभिलेखों में अंकित संख्या के अनुसार पशु, वास्तव में शिविर में रखे गये हैं। इस प्रकार किये गये निरीक्षण की एक प्रति निरीक्षण दिनांक से एक सप्ताह के भीतर सहायता विभाग एवं सम्बन्धित संस्था को भेज दी जाए।
17. पशु शिविर चलाने वाली संस्था द्वारा जिला कलेक्टर को प्रत्येक चरण का हिसाब प्रस्तुत किया जाये। जिला कलेक्टर की स्वयं की स्वीकृति के उपरान्त देय अनुदान राशि का भुगतान बिल प्राप्ति के 7 दिन में सीधे ही उनके बैंक खातों में DBT द्वारा किया जाये।
18. यदि पशु शिविर चलाने वाली संस्था/अधिकारियों के खिलाफ कोई जांच विचाराधीन है, तो जांच के निस्तारण उपरान्त ही स्वीकृति जारी की जावे।
19. यह भी सुनिश्चित करें कि स्वीकृत पशु शिविरों में पशु वृद्धि के लिए अतिरिक्त जिला कलेक्टर के स्तर के अधिकारी द्वारा निरीक्षण कराया जाये एवं निरीक्षण के दौरान पशुओं की संख्या, पानी की व्यवस्था, चारा खिलाने की व्यवस्था, संधारित रजिस्ट्रों व अन्य सुविधाएँ जो विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार सही पाये जाने के उपरांत पशु बढ़ोतरी के प्रस्तावों की अनुशंसा जिला कलेक्टरों को करें तथा जिला कलेक्टर द्वारा स्वयं संतुष्ट होने के उपरांत ही स्वीकृति जारी की जावे।
20. स्वीकृत पशु शिविरों का आ.प्र.एवं सहा.विभाग/जिला कलेक्टर द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया जा सकेगा। आकस्मिक निरीक्षण में अनियमितता पायी जायेगी तो सम्बन्धित

संस्था/संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध कानूनी/विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी। प्रत्येक पशु शिविर की उप खण्ड स्तरीय समिति द्वारा प्रभावी मोनिटरिंग एवं वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी अनिवार्यतः की जावे।

एस.डी.आर.एफ. मानदण्डों के अनुसार ही पशु शिविरों का संचालन सुनिश्चित किया जाए।

शासन सचिव

प्रतिलिपि:— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

- 1 प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0., जयपुर।
- 2 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, राज., जयपुर।
- 3 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, राज., जयपुर।
- 4 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5 विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राज0, जयपुर।
- 7 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
- 8 निजी सचिव, सचिव, पशुपालन एवं गोपालन, जयपुर।
- 9 निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
- 10 निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर। *डा. ज. म. 2*
- 11 निजी सचिव, जिला प्रभारी सचिव, जैसलमेर।
- 12 वित्तीय सलाहकार, आ0प्र0 एवं सहायता विभाग, राज0, जयपुर।
- 13 समस्त अधिकारीगण, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राज0., जयपुर।
- 14 प्रोग्रामर, आ.प्र.एवं सहायता विभाग, जयपुर।
- 15 गार्ड फाईल।

शासन सचिव